

FORM NO. III

(2)

फर्द अहकाम

2023/128

उप खण्ड अधिकारी (नियम 26)

अज अदालत

बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

मुकाम

कौली कट्ट

बनाम

किशोरदास

किस्म मुकद्दमा

व.

सन्

प्रा. 45/128

97/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/5/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... ग्राम..... आ.न. २५१ रुब ०.४६ ई. ३४१ रुब ०.१५ ई. की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 1200/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	= 100 रु

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

